संलग्नक–1

संहत प्रबन्ध योजना प्रारूप

(Composite Management Plan Proforma)

भाग– 01

प्रभाग के पंचायती वनो एवं वन पंचायतो से संबंधित आधारभूत सूचनाये

(इस भाग में सामान्य जानकारी एक पैरा/3–4 लाईनों में अंकित की जा सकती है)

अध्याय 01

1.1.1 वन पंचायत से सम्बन्धित आधारभूत सूचनायें:

i. प्रभाग का नाम

ii. राजिवार वन पंचायतों की संख्या एंव क्षेत्रफल का विवरण

तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	राजि का नाम	वन पंचायतों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4	5

iii. पचांयती वनों का प्रकार तथा वन्यजीवों एवं वनस्पतियों का विवरण।

iv. पंचायती वनों की स्थिति : वनों का प्रकार (Forest Type), वृक्ष आच्छादन (Tree Cover) तथा घनत्व इत्यादि का विवरण।

v. अवनत पंचायती वन उपलब्ध हो, तब संक्षिप्त विवरण।

vi. प्रभाग अन्तर्गत वन पंचायतों का इतिहास, तथा प्रबन्धन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों/घटनाओं का टाइम लाईन के अनुसार उल्लेख।

1.1.2 वन पंचायतवार गठन, अवस्थिति व प्रबंधन से संबंधित सूचना:

1.1.2.1 वन पंचायतों की अवस्थिति एवं वैधानिक स्थिति का विवरण **(प्रपत्र–1.1)।**

1.1.2.2 पंचायती वनों के क्षेत्रफल, वनों के प्रकार तथा सीमांकन की स्थिति: बाउण्ड्री पिलर्स, मैपिंग एवं सर्वे की स्थिति आदि का विवरण **(प्रपत्र–1.2)।**

1.1.2.3 पंचायती वनों के गठन एवं वन पंचायत के प्रबन्धन से सम्बन्धित सूचनायें **(प्रपत्र–1.3)।**

1.1.2.4 पंचायती वन भूमि का वर्तमान भू–उपयोग एवं भूमि उपयोग के पश्चात परिवर्तन की स्थिति यथा –क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंवटित भूमि/भूमि हस्तान्तरण/भूक्षरण इत्यादि **(प्रपत्र–1.4)।**

1.1.3 जलवायु सम्बन्धी सूचना – औसत वर्षा दिनों की संख्या (कार्ययोजना के अनुसार) एवं औसत तापमान–न्यूनतम एवं अधिकतम सहित (कार्ययोजना अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार)।

1.1.4 जल एवं जलागम संबंधी सूचना:

1.1.4.1 जलागम वार वन पंचायतो की सूची **(प्रपत्र–2.1)।**

1.1.4.2 पानी के स्रोत यथा – स्प्रिंग, स्ट्रीम आदि की संख्या, जी0पी0एस0 लोकेशन, उपयोग, डिस्चार्ज, बहाव (निरन्तर/मौसमी) एवं लैण्डयूज आदि की सूचना **(प्रपत्र–2.2)।**

1.1.4.3 प्रभाग के अंतर्गत स्थित विभिन्न आद्र भूमि(wet land),चाल खाल, जल कुण्ड एवं सिंचित क्षेत्र आदि का विवरण **(प्रपत्र–2.3)।**

नोट– उक्त सूचना जल निगम स्वजल परियोजना की स्थानीय ईकाई से भी प्राप्त की जा सकती है

1.1.5 अवनत पंचायती वनों की स्थिति: घनत्व, Tree cover, Forest Type etc

अध्याय 02

1.2 पंचायती वनों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी

1.2.1 वन पंचायतों (Cluster में) अन्तर्गत ग्रामीणों की आय/आजीविका का मुख्य स्त्रोत/निर्भरता।

1.2.2 Cluster में स्थित वन पंचायतों की सड़कों की स्थिति एवं बाजार व मण्ड़ी से दूरी।

1.2.3 वन पंचायत के अर्न्तगत उपलब्ध प्रमुख Sacred Groves की स्थिति **(प्रपत्र–3.1)।**

1.2.4 स्थानीय मेलों, पर्यटन स्थलों, Eco-Tourism Spots इत्यादि **(प्रपत्र–3.2)।**

1.2.5 वन पंचायत अथवा वन पचांयत से जुड़े राजस्व ग्रामों एवं निकटवर्ती सिविल क्षेत्र, आरक्षित वनों में विगत तीन वर्षो में पर्यटन के आवागमन की स्थिति वर्षवार आंकडे (यदि उपलब्ध हो) अन्यथा अनुमानित वार्षिक आंकड़े **(प्रपत्र–3.3)।**

1.2.6 परम्परागत के औषधीय ज्ञान– स्थानीय वैद्यों की सूची **(प्रपत्र–3.4)।**

1.2.7 पंचायती वनों से परम्परागत रूप में प्रयोग किये जाने वाले वनस्पतियों का विवरण, जैसे–पत्थर चट्टा, किलमोड़ा, टिमरू, कडीपत्ता, तेजपात, बिच्छू घास आदि।

1.2.8 जैव–विविधता संरक्षण समितियों का विवरण **(प्रपत्र–3.5)।**

1.2.9 वन पंचायतों में अन्य प्रकार जैसे–रिंगाल, बडाईगिरी, भाण्ड़रण, लौहार लकड़ी नक्कासी आदि का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के विवरण की सूची **(प्रपत्र–3.6)।**

अध्याय 03

1.3 पंचायती वनों की सुरक्षा की स्थितिः

पंचायती वनों को किसी भी प्रकार से होने वाली क्षति/खतरे का विवरण तथा इन खतरों से वनों के बचाव हेतु उपायों का विवरण दिया जायः

1.3.1 प्रभाग की वनाग्नि प्रबन्धन योजनानुसार पंचायती वनों अन्तर्गत वनाग्नि विगत प्रबन्धन।

1.3.2 पंचायती वनों अन्तर्गत जैविक दबाव – स्थानीय पशुओं तथा गूजर/घुमन्तु परिवारों का दबाव, उपलब्ध वानस्पतिक संसाधनों के सापेक्ष चुगान की स्थिति (कार्ययोजनानुसार)।

1.3.3 कीटों, खरपतवार एवं बीमारियों का प्रकोप (कार्ययोजनानुसार)।

1.3.4 अतिक्रमण, अवैध–शिकार एवं अवैध–पातन की स्थिति– पंचायती वनों अन्तर्गत **विगत पांच वर्षों में घटित वन अपराधों के आंकडों का विवरण विभागीय (वन एवं राजस्व विभाग) अभिलेखो के आधार पर (प्रपत्र–4.1)।**

1.3.5 झूला, मौसघास, तथा पौधनुमा, झाड़ीनुमा व तरूनुमा प्रजाति, बांस व रिगांल और वृक्षों की प्रजातियाँ जिन पर अत्याधिक दबाव है एंव दबाव का कारण का विवरण।

1.3.6 वन पंचायत क्षेत्रों में मानव–वन्यजीव **संर्घष** की स्थिति – **विगत पांच वर्षों में घटित मानव वन्यजीव संर्घष के आंकडों का विवरण (प्रपत्र–4.2)।**
नोटः प्रभागीय अभिलेखों के आधार पर दर्ज़ करें।

1.3.7 प्राकृतिक पुनरूत्पादन (ANR) की स्थिति – प्रजातिवार आँखों देखा विवरण।

1.3.8 पंचायती वनों में गैरकाष्ठीय वनोपज का विगत 5 वर्षो में किये गये दोहन **(प्रपत्र–4.3)**

1.3.9 पंचायती वनों में प्रकाष्ठीय वन उपज का विगत 5 वर्षों में किये गये दोहन **(प्रपत्र–4.4)।**

1.3.10 प्राकृतिक आपदा से नुकसान **(प्रपत्र–4.5)**

भाग–02

पंचायती वनो के विगत, वर्तमान एवं भविष्य की प्रबन्धन व्यवस्था की रूपरेखा

अध्याय 01

2.1 पंचायती वनों का विगत प्रबन्धनः

2.1.1 पूर्व में प्रबन्धन का उददेश्य क्या था से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण एवं वनों के विगत प्रबन्धन के बारें में संक्षिप्त इतिहास।

2.1.2 पंचायती वनों के प्रबन्धन के उद्देश्य के अनुसार संरक्षण, संर्वधन एंव अतिक्रमण हटाने में जन सहयोग, राजस्व विभाग का सहयोग, प्रबन्धन व्यवस्था में सफलतायें एंव विफलतायें इत्यादि का विवरण।

2.1.3 प्रबन्ध समिति का गठन एंव वर्तमान में प्रबन्धन की स्थिति।

2.1.4 वन उत्पादों यथा– प्रकाष्ठ एवं गैर प्रकाष्ठ (झूला–घास, मौसघास तथा औषधीय पादप इत्यादि) एवं अन्य उत्पादों का प्रबन्धन।

नोट– प्रबन्धन हेतु गैर प्रकाष्ठ वन उपज कार्यवृत्त का गठन कर उसमें गैर प्रकाष्ठ वन उपज की उपलब्धता तथा उसके दोहन हेतु योजना प्रस्तावित की सकती है।

2.1.5 पंचायती वनों का लीसा विदोहन हेतु प्रबन्धन (चीड़वृत्त)।

2.1.6 वन पंचायतों का मृदा एवं जल संरक्षण हेतु प्रबन्धन – स्प्रिंग शेड एवं जलागम तकनीक आधारित धाराओं एवं जल स्रोतों का प्रबन्धन/संर्वधन।

2.1.7 वन पंचायतों द्वारा पंचायती वनो की परिसंपदा का पांरम्परिक सामुदायिक प्रबन्धन व्यवस्था का विवरण तथा व्यवस्था हेतु आवश्यक सहयोग का विवरण **(प्रपत्र–5.1)।**

अध्याय 02

2.2. पंचायती वनों की सुरक्षा के दृष्टिगत पंच–वर्षीय प्रबन्धनः

2.2.1 पंचायती वनों के प्रबन्धन के उद्देश्य के आधार पर क्या करना चाहते है और क्यों करना चाहते हैं का विवरण एक पेज में दें।

2.2.2 पचांयती वनों के प्रस्तावित चुनाव समय से कराने का प्राविधान प्रबन्धः हितभागी विभाग – राजस्व विभाग।

2.2.3 पंचायत वनों की सीमा का सीमांकन तथा सीमा पिलरों का निर्माणः हितभागी विभाग – राजस्व विभाग (सीमांकन हेतु) तथा ग्राम विकास विभाग (मनरेगा के बजट से सीमा पिलर निर्माण हेतु)।

2.2.4 पंचायती वनों के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु योजना : हितभागी विभाग– राजस्व विभाग (अतिक्रमण हटाने हेतु) **वन पंचायत क्षेत्रों का विस्तारीकरण किया जा सकता हैं।**

2.2.5 प्रभाग की वनाग्नि प्रबन्धन योजनानुसार पंचायती वनों हेतु वनाग्नि प्रबन्धन की रूपरेखा (पंचायती वनों के लिए वनाग्नि सुरक्षा योजना का गठन किया जा सकता है)।

2.2.6 पंचायती वनों अन्तर्गत अवैध–पातन, अवैध–शिकार, अवैध–खनन एवं अवैध–उपयोग आदि की रोकथाम हेतु योजना (वन पंचायत नियमावली अनुसार)।

2.2.7 पंचायती वनों अन्तर्गत कीटों, बीमारियों एवं खरपतवारों आदि से सुरक्षा हेतु योजना।

2.2.8 पंचायती वनों अन्तर्गत उपलब्ध वन संसाधनों के संरक्षण व संर्वधन हेतु उपयोग व्यवस्थाः

2.2.8.1 **प्रकाष्ठ यथा – चीड़, देवदार, कैल, साल इत्यादि का वाणिज्यिक उपयोग व्यवस्थाः** पंचायती वनों में सूखे–ऊखड़े वृक्षों का वाणिज्यिक निस्तारण पंचायती वन नियमावली, 2005 (यथासंशोधित–2012) के नियम–18(घ) में दिये गये प्राविधान एवं प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF)/प्रमुख वन संरक्षक, वन पचायत, द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किये जायेगें।

2.2.8.2 **गैर प्रकाष्ठ गौण वन वन उपज के वाणिज्यिक उपयोग व्यवस्थाः** गैर–प्रकाष्ठ गौण वन उपज का सतत् सम्पोषक दोहन व्यवस्था का वर्णन किया जायेगा **(प्रपत्र 6.1)**।

2.2.8.3 **पंचायती वनों अन्तर्गत उपलब्ध वन संसाधनों का संवर्धनः**

क)– अवनत वनों का वनीकरणः इनमें उपलब्ध प्राकृतिक/ग्रामीणों के लिये उपयोगी प्रजातियाँ ही ली जायेंगी (न्यूनतम कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत)।

ख)– ANR– देवदार, ओक, साल, चीड़/कैल, फर/स्प्रूस/बांस, रिंगाल आदि प्रजातियाँ (न्यूनतम कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत)।

ग)– औषधीय एंव सुंगन्धित पौधों एवं अन्य NTFP आदि का संवर्धन –इनमें ग्रामीणों के लिये उपलब्ध प्राकृतिक उपयोगी प्रजातियां ही ली जायेंगी।

2.2.9 **पंचायती वनों अन्तर्गत जल एवं मृदा संरक्षण हेतु कार्ययोजनाः स्प्रिंगशैड तथा जलागम प्रबन्धन तकनीकी पद्धति द्वारा**

2.2.9.1 पचांयती वनों तथा साथ में लगे अन्य वन क्षेत्रों के अन्तर्गत जलस्रोंतो एंव जलाशय **जिसका सम्बन्ध जलाशय क्षेत्र के रूप में पंचायत वन क्षेत्र से लगते हो** की सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु (Water conservation & Harnessing) योजना। (पानी की कमी वाले क्षेत्र का न्यूनतम 10 प्रतिशत में कार्य करने का प्राविधान रखा जाये)

2.2.9.2 भूमि एंव जल संरक्षण प्राथमिकता के आधार परः भू–क्षरण वाले क्षेत्र का न्यूनतम 10 प्रतिशत में कार्य करने का प्राविधान रखा जाये।

2..2.10 **वन एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु वन पंचायतों से सम्बन्धित शसनादेशः** पंचायती वनों अन्तर्गत वन्यजीवों एवं वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु वन पंचायतों से सम्बन्धित शासनादेशों का समावेश, विभिन्न अधिनियमों/नियमों/कानूनों/ कोर्ट–केसों /मार्ग–दर्शिकाओं/SoPs/आदेशों एवं निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन दिया जाय।

2.2.11 **अशंदान का व्यक्तिगत कार्यो से विवरणः** वन पंचायत के संसाधनों/सम्पत्ति से स्थानीय लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होने पर अंशदान की व्यवस्था रखे जाने का विवरण दिया जाये। पंचायत के संसाधनों/सम्पत्ति से स्थानीय लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त की दशा में अंशदान की व्यवस्था हेतु प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप सं0 P.O./50/13-2(2) दिनांक 02.08.2014 द्वारा कैट प्लान के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश यथावत लागू रहेंगें।

अध्याय–03

2.3 वन पंचायतों में प्रशासन एवं प्रबन्धन से जुड़े कार्यः

वन पंचायत द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्य यह कार्य बजट आवश्यकता के मद्देनजर एवं बजट उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

2.3.1 **वन्यजीव प्रबन्धन आधारितः**

क)– पचांयती वनों अन्तर्गत बटिया/निरीक्षण बटिया निमार्ण।

ख)– मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु वन पचांयत के सीमा पर सोलर लाईट व फैन्सिग सोलर आदि की व्यवस्था।

ग)– मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु वन पचांयत अन्तर्गत झाडी कटान एवं लैण्टाना उन्मूलन कार्य।

घ)– ब्लॉक स्तर पर वनाग्नि नियन्त्रण कक्ष/वन पंचायत कार्यालय का निर्माण।

ङ)– वन्यजीव प्रबन्धन हेतु औजार एवं टूल्स इत्यादि की व्यवस्था।

च)– फलदार पौधों का रोपण।

2.3.2 जल एव जलागम विकास कार्यः

क)– धारा एवं नौला विकास कार्य।

ख)– भूमि एवं जल संरक्षण कार्य।

2.3.3 वन पंचायत प्रबन्धन एवं विकास हेतु ज्ञान एवं कौशल विकास कार्यः

क)– प्रशिक्षण, शिक्षण भ्रमण एवं शोध कार्य।

ख)– वन पंचायत के कार्य प्रणाली के बारे में अभिमुखीकरण, बुक किपिंग, अकाउटिंग व एवं प्रबन्धन व्यवस्था से जुड़े अन्य कार्य।

ग)– पारिस्थिकीय सेवा प्रबन्धन एंव संवर्धन तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ से सम्बन्धित अध्ययन आदि के कार्य।

घ)– विभिन्न स्रोतों से पंचायती वनों के संर्वधन को स्थानीय आजीविका से जोड़ने हेतु सहभागी योजना का निरूपण।

2.3.4 वन पंचायत सदस्यों को आय परक गतिविधियों से जोड़ने हेतु कार्य (आवश्यकतानुसार) :

क)– पंचायती वन के अन्तर्गत ईको–टूरिज्म, नेचर ट्रैक, इत्यादि।

ख)– वन आधारित क्रियाकलाप जैसे पिरूल आदि का संग्रहण।

ग)– पंचायती वनों के संरक्षण हेतु कार्बन क्रेडिट, **REDD++** एवं **Green Fund** आदि

घ)– मौन पालन इत्यादि।

ङ)– वन पंचायत के अविश्कारकारी प्रयोग से जुड़े कार्य जिससे स्थानीय जनता पंचायती वनों के संर्वधन में अधिक जुड़ सके।

च)– वन पंचायत से प्राप्त पानी के प्रयोग के सापेक्ष अंशदान तथा पर्यटन आधारित क्रियाकलाप जैसे विलेज टूरिज्म तथा होम स्टे इत्यादि के आमदनी से अंशदान।

छ)– स्थानीय खरपतवार (weed) का आय वृद्धि हेतु उपयोग।

ज)– कोई अन्य आवश्यक गतिविधि जिससे पर पर्यावरण विपरीत प्रभाव न पडें तथा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन न होता हो।

अध्याय 04

2.4 बजट एवं धनराशिः

पंचायती वनों के प्रबन्धन के लिये वन पंचायतों द्वारा आगामी 05 वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों के लिये संकेतिक Indicative वर्षवार (तालिकानुसार) बजट की उपलब्धता का प्राविधान।

2.5 वन पंचायतों के कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः

वन पंचायतो के अनुश्रवण, मूल्यांकन कार्यो को चार निम्न भागो में बांटा गया है, जिसे चार उप बिन्दुओ (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 व 2.5.4) के रूप में शामिल किया गया है। इन बिन्दुओ का विवरण निम्न प्रकार हैः

2.5.1 वन पंचायतो के प्रबंधन व्यवस्था, जनसहभागिता एवं लाभ वितरण का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन : इसकी समीक्षा वन पंचायत मुख्यालय द्वारा जारी पत्रांक 81/7–1 दिनांक 30.07.2021 के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा **(प्रपत्र–7.1)।** उक्त आदेश आदेशो के संकलन में रखा जा रहा है।

2.5.2 वन पंचायतो मे वनाधिकारियो द्वारा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था (प्रपत्र–7.2)।

2.5.3 वन पंचायतो के योजनाओ से संबंधित अनुश्रवण तथा मूल्यांकन कार्यः संबंधित योजना के अंतर्गत वन विभाग के प्रचलित व्यवस्था से किया जायेगा।

2.5.4 वन पंचायतो के ऑडिट की व्यवस्था (प्रपत्र–7.3)।

भाग–3

3 संहत प्रबंधन योजना के अध्यायो से जुडे आवश्यक आदेशों का संकलन

संहत प्रबंधन योजना के अध्यायो से जुडे आवश्यक शासनादेशो का संकलन एवं आवश्यक नियम व निमावलियों के संदर्भित पैरा की छायाप्रति विषय सूची सहित रखा जाना है।

संहत प्रबंधन योजना के अध्यायो से जुडे आवश्यक शासनादेशो का संकलन **भाग–3** में संलग्न किया जाये। ***इसके लिए विषय सूची तैयार कर प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।***

.....

नोट 1– भाग–2 के **अध्याय–**2 के **बिन्दु संख्या 2.2 से 2.4** के विषयों पर वन विभाग को राजस्व विभाग के साथ सम्पर्क कर तैयार करना होगा। इसके साथ ही **भाग–2 अध्याय–2** के **बिन्दु सं0 2.3** में सीमा पिल्लरों के निमार्ण हेतु मनरेगा का फण्ड प्रयोग में लाये जाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग से सम्पर्क करने की आवश्यकता होगी।

2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक प्रपत्र को सुचनाओं के सम्पूरकता के आधार पर पुनः निरीक्षण किया गया इसके आधार पर प्रपत्र श्रृंखला (Series) के सारे प्रपत्र में वन पंचायतों का क्रम प्रपत्र 1.1 में रखे गये श्रृखला के आधार पर रखा जाना आवश्यक समझा गया।

3. पूर्व में पंचायती वनों से विगत 5 वर्षो में प्रकाष्ठ का विवरण नहीं था। वर्तमान में इसे प्रपत्र 4.4 में नये प्रपत्र के रूप में रखा गया है। इस क्रम में पूर्व में दिये गये प्रपत्र 4.4 अब प्रपत्र 4.5 माना जाये।

संलग्नक–2

संहत प्रबन्ध योजना से जुडे सूचना एकत्रीकरण हेतु विभिन्न प्रारूप

भाग–1 से संबंधित प्रपत्र

प्रभाग के पंचायती वनो एवं वन पंचायतो से संबंधित आधारभूत सूचनाये

प्रपत्र–1.1 वन पंचायतों के अवस्थिति तथा वैधानिक स्थिति

भाग –1 के अध्याय–1 के बिन्दु संख्या 2.1 (1.1.2.1)

क्र. सं.	जनपद का नाम व (राष्ट्रीय कोड)	तहसील का नाम व (जनपदवार क्रम संख्या)	वन पंचायत का नाम	वन पंचायत से जुडे राजस्व ग्राम की संख्या	वन पंचायतवार		वन पंचायत क्षेत्रफल				व0पं0 से संबंधित ग्राम पंचायत का नाम	व0पं0 से संबंधित ब्लॉक का नाम	व0पं0 से संबंधित प्रभाग का नाम	वन पंचायत से संबंधित रेंज का नाम
					राजस्व परिषद की सूची के अनुसार दिये गये राजस्व ग्राम का क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	आरक्षित भूमि (है0 में)	सिविल भूमि (है0 में)	अन्य भूमि (है0 में)	कुल योग (है0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	देहरादून (49)	डोईवाला (2)	सिंधवालगांव	4	17	सिंधवालगांव	–	18.49	–	18.49	सिंधवालगांव	रायपुर	देहरादून	थानौ
					21	कैरवान मालकोट								
					24	जाकर								
					25	फरती								

प्रपत्र–1.2 पंचायती वनों के क्षेत्रफल, वनों का प्रकार तथा सीमांकन की स्थिति

भाग –1 के अध्याय–1 के बिन्दु संख्या 2.2 (1.1.2.2)

प्रपत्र 1.1 के कॉलम स0 1 के आधार पर वन पंचायतों की जनपदवार क्रम संख्या	वन पंचायत का नाम	पंचायती वन क्षेत्र				बाउन्ड्री पिल्लर की संख्या	मैंपिग व सर्वेक्षण की स्थिति	भूमि हस्तान्तरण (है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवटिंत भूमि (है0)
		क्षेत्रफल है0	जी0पी0एस0 लोकेशन	ऊचाई (मी)	वनो का प्रकार*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*नोट : कॉलम 6 में भरे जान वाले वनों के प्रकार में केवल तीन मुख्य पेड़ प्रजाति तथा तीन मुख्य झाड़ीनुमा प्रजाति व तीन मुख्य पौधनुमा प्रजाति का स्थानीय नाम से अंकित करें। स्थानीय नाम के सापेक्ष **Scientific** नाम एक अलग सूची बनाकर इस तालिका के तुरन्त बाद दिया जा सकता है।

प्रपत्र–1.3 पंचायती वनों के गठन एवं वन पंचायत के प्रबन्धन से सम्बन्धित सूचनायें

प्रपत्र 1.1 के कॉलम स0 1 के आधार पर वन पंचायतों की जनपदवार क्रम संख्या	वन पंचायत गठन का वर्ष	प्रबन्ध समिति के गठन की तिथि	बैक का नाम	वनपंचायत का खाता सं0	सरपंच का नाम	मो0न0	सरपंच का आधारकार्ड सं0	सदस्य सचिव	
								नाम	मो0न0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र–1.4 पंचायती वनों के भूमि उपयोग संबंधित विवरण

भाग –1 के अध्याय–1 के बिन्दु संख्या 2.4 (1.1.2.4)

प्रपत्र 1.1 के कॉलम स0 1 के आधार पर वन पंचायतों की जनपदवार क्रम संख्या	वनपंचायत का नाम	भूमि हस्तान्तरण क्षेत्रफल (है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि (है0)
1	2	3	4

प्रपत्र–2.1 जलागमवार वन पंचायतो की सूची

भाग–1 अध्याय–1 के बिन्दु सं0–4.1 (1.1.4.1)

क0 सं0	राजि का नाम	तहसील	विकास खण्ड	माइक्रोवाटरषैड का नाम	वन पंचायतों का नाम
1	2	3	4	5	5
					समस्त वन पंचायतों का नाम लिखा जायेगाा।

प्रपत्र–2.2 राजि के अंतर्गत पंचायती वनों तथा आस–पास के आरक्षित एवं सिविल वनों में स्थित विभिन्न जल स्रोतों का विवरण
भाग–1 अध्याय–1 के बिन्दु सं0–4.2 (1.1.4.2)

क्र0 सं0	राजि का नाम	तह सील	विकास खण्ड	जल स्रोत /गधेरे का नाम/तोक	राजस्व ग्रम/ वन पंचायत का नाम जिसमें जल स्रेत स्थित है	जी0पी0एस0 कार्डिनेट्स	जल स्रेत में जल की उपलब्धता (वर्षभर/मौसमी)	जल स्रेत का वर्तमान उपयोग	जल स्रोत से लाभान्वित/ परिवारों गांवो की संख्या	जल स्रेत के प्रबन्धन की वर्तमान व्यवस्था	संबंधित उपयोग का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

प्रपत्र–2.3 राजि के अंतर्गत विभिन्न वेटलैण्ड/चालखाल/जलकुण्ड का विवरण
भाग–1 अध्याय–1 के बिन्दु सं0–4.3 (1.1.4.3)

क्र0 सं0	राजि का नाम	तहसील	विकास खण्ड	राजस्व ग्रम/ वन पंचायत आदि भूमि जिसमें नम भूमि स्थित है	वैटलैण्ड/ चालखाल/जलकुण्ड	जी0पी0एस0 लोकेषन	संबंधित उपयोग का विवरण/अनुमानित नम क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–3.1 राजि के अन्तर्गत विभिन्न देववनो (Sacred Forest) का विवरण

भाग–1 अध्याय–2 के बिन्दु सं0–3 (1.2.3)

क्र0सं0	राजि का नाम	तहसील	विकासखण्ड	देववन(Sacred Forest) का नाम	राजस्व ग्रम/वन पंचायत जहॉ देववन स्थित है	देववन(Sacred Forest) का विवरण			घार्मिकमान्यताओं का संक्षेप
						क्षेत्रफल (हे0)	जी0पी0एस0 कार्डिनेटस	वनो का प्रकार*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोटः*प्रभाग की कार्य योजना को आधार मानकर **Field Observation** को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट विवरण दे।

प्रपत्र–3.2 राजि के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय मेलों का विवरण

भाग–1 अध्याय–2 के बिन्दु सं0–4 (1.2.4)

क्र0 सं0	राजि का नाम	स्थानीय मेलें का नाम	मेले का स्थान	वार्षिक/छः मासिक/त्रैमासिक /पाक्षिक/ साप्ताहिक	निर्धारितदिवस	मेले का प्रकार (धार्मिक/सांस्कृतिक/व्यापारिक)	प्रमुख गतिविधियां
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–3.3. राजि के अंतर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलों पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थलों का विवरण

भाग–1 अध्याय–2 के बिन्दु सं0–5 (1.2.5)

क्र0 सं0	राजि का नाम	तहसील	विकास खण्ड	पर्यटक स्थल /पारिस्थितिकीय पर्यटक स्थल का नाम	संबंधितवनपंचायत/राजस्वग्राम का नाम	पर्यटक स्थल में प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या का विवरण*	स्थल के पासप्रमुख प्राकृतिक संसाधन तथा उन पर दबाव की स्थिति	पर्यटक स्थल के पास प्रमुख पादप/ वन्य जीव प्रजातिया	पर्यटकस्थल के पासप्रमुख वन्य पादप/जीवप्र जातियों पर दबाव की स्थिति	अन्य विवरण यदिकोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*नोटः पर्यटनविभाग के आंकडोंको (यदि उपलब्ध हो तो) भी उल्लिखित किया जा सकता है।

प्रपत्र–3.4 राजि के अंतर्गत निवासरत स्थानीय वैद्यों का विवरण

भाग–1 अध्याय–2 के बिन्दु सं0–6 (1.2.6)

क्र0 सं0	राजि का नाम	तहसील	विकास खण्ड	निवासरतगांव का नाम	स्थानीय वैद्य का नाम	स्थानीय वैद्य का फोननंबर	स्थानीय वैद्य द्वारा उपचार किये जानेवालेरोगों का नाम	स्थानीय वैद्य द्वाराउपयोग की जारहीजड़ी–बूटियों के नाम	स्थानीय वैद्य द्वाराउपयोगकियेजारहीजड़ी–बूटियां की वन क्षेत्र मेंस्थिति का विवरण	जड़ी–बूटियों के ह्रस का प्रमुख कारण (यदि कोईहो तो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–3.5 राजि के अंतर्गतगठित की गयी जैवविविधता प्रबन्ध समितियों का विवरण

भाग–1 अध्याय–2 के बिन्दु सं0–8 (1.2.8)

क्र0सं0	राजि का नाम	तहसील	विकासखण्ड	जैवविविधताप्रबन्ध समिति(**BMC**) का नाम/ग्रामपंचायत का नाम	सदस्य सचिव		**BMC** के अधिकारिता क्षेत्र मेंउपलब्ध प्रमुख जैवसंसाधन	**BMC**के अधिकारिता क्षेत्र मेंउपलब्ध/विपणनकियेजाने/जासकनेवालेप्रमुख जैवसंसाधन
					नाम	मो0नं0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–3.6 राजि के अन्तर्गत वन पंचायत क्षेत्रों में निवासरत कारीगरों का विवरण

भाग–1 अध्याय–2 के बिन्दु सं0–9 (1.2.9)

क्र0 सं0	राजि का नाम	तह सील	विकासखण्ड	निवासरत गांव का नाम	कारीगर का नाम	कारीगर का फोन नम्बर	कारीगर द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों का नाम	कच्चा माल प्राप्त करने का स्रोत तथा स्थान	कारीगर द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादो के विपणन/बाजार की स्थिति	कारीगर द्वारा उपयोग किये जा रहे वन उत्पादों/वृक्ष प्रजातियों का नाम	उपयोग किये जा रहे वन उत्पादों/वृक्ष प्रजातियों की वन क्षेत्र में स्थिति का विवरण	सम्बन्धित वृक्ष प्रजातियों के ह्रास का प्रमुख कारण (यदि काईहो तो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रिंगालकारीगर												
बढ़ई												
लोहार												
लकड़ी की नक्काशी के कारीगर												
अन्य कोई												

प्रपत्र–4 वित्तीय प्राविधान, पंचायती वन तथा वन पंचायत में किये जाने वाले आवश्यक कार्य

भाग–2 अध्याय–4 के (2.4)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	इकाई	भौतिक	अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5
1	नियोजन, प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार			
1.1	माइक्रोप्लान निर्माण	संख्या		
1.2	प्रशिक्षण/शैक्षिक भ्रमण/कार्यशाला			
	(अ) प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय विषय पर	संख्या		
	(ब) पर्यावरणीय सेवाओं से जुडे कार्यो के लिए	संख्या		
	(स) आयपरक गतिविधियों के लिए	संख्या		
2	पंचायती वन का सर्वे एवं सीमांकन			
2.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	है0		
2.2	सीमा स्तम्भ निर्माण	संख्या		
3	वनों का विकास			
3.1	सहायतित प्राकृतिक पुर्नत्पादन	है0		
3.2	चारागाह विकास कार्य	है0		
3.3	वनीकरण			
	(अ) नर्सरी निर्माण	संख्या		
	(ब) अगिम मृदा कार्य	है0		
	(स) वृक्षारोपण कार्य	है0		
	(द) अनुरक्षण	है0		
3.4	महिला नर्सरी विकास कार्य	संख्या		
4	जल एवं भूमि संरक्षण कार्य			
4.1	भूमि संरक्षण कार्य (चैकडैम निर्माण आदि)	संख्या		
4.2	जल स्रोतों का जीर्णोद्वार कराना (चाल खाल, टैंच ,नौला मरम्मत आदि)	संख्या		
4.3	अन्य कार्य			
5	पंचायती वनों की सुरक्षा			
5.1	वनाग्नि सुरक्षा	ल0स0		
5.2	अनुउपयोगी प्रजातियों का प्रबंधन	है0		
5.3	बटिया निर्माण आदि	किमी0		
5.4	वन सुरक्षा से जुड़े जन आधारित कार्य			
	(अ) मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम उपाय (सुअररोधी दीवाल आदि)	मी0		
	(ब) वैकल्पिक उर्जा उपकरण	संख्या		
5.5	अन्य कार्य			
	(अ) फल पौध वितरण			
	(ब) पर्यावरण सम्बद्ध आय परक गतिविधियों हेतु सहयोग			
6	वन पंचायतो हेतु आधारभूत संरचना			
6.1	वृहत निर्माण कार्य (वन पंचायत भवन आदि)	संख्या		
6.2	आवश्यक अभिलेख आदि संधारण हेतु सहयोग (बस्ता तैयार करना)	ल0स0		
7	अन्य कार्य			

नोटः उक्त कार्यो के अतिरिक्त वन पंचायत के पेयजल, कृषि, औधानिकी, पशुपालन, सौर ऊर्जा, लघु निर्माण एवम् अन्य ग्राम्य विकास के कार्यो को वन पंचायत द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य विकास विभागों के साथ समन्वय करते हुए लागू किया जाना है।

प्रपत्र–4.1. राजि के वन पंचायत क्षेत्रों में वनअपराधों का विवरण–वनपंचायतवार अतिक्रमण, अवैध शिकार तथा अवैध पातन आदि की स्थिति का विवरण–विगत 5 वर्षो में घटित वन अपराधों का विवरण

भाग–1 अध्याय–3 के बिन्दु सं0–4 (1.3.4)

क्र0 सं0	राजि का नाम	वनअपराध का नाम व विवरण	संबंधित वनपंचायत/ वनपंचायतें	विगत 5 वर्षो के दौरान घटित अपराधों की संख्या का विवरण (केस की संख्या)					विगत 05 वर्षो में कितने केस प्रसमित हुये	अन्य विवरण, यदि कोई हो तो
				पिछले 05 वर्ष का प्रथम वर्ष...	पिछले 05 वर्ष का द्वितीय वर्ष..	पिछले 05 वर्ष का ततीय वर्ष...	पिछले 05 वर्ष का चतुर्थ वर्ष..	पिछले 05 वर्ष का पंचम वर्ष..		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अतिक्रमण								
		अवैध शिकार								
		अवैध पातन								
		खनन								
		अन्य कोई								

नोटः प्रभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर दर्ज किया जाये।

प्रपत्र–4.2. राजि के वन पंचायतो में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति–विगत 5 वर्षो में घटित मानव वन्यजीव संघर्ष के आंकड़ों का विवरण

भाग–1 अध्याय–3 के बिन्दु सं0–6 (1.3.6)

क्र0 सं0	राजि का नाम	मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रकार	संबंधित वन पंचायत/वन पंचायतें	विगत 5 वर्षो के दौरान घटित मानववन्य जीवसंघर्ष के आंकड़ों का विवरण					मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण हुयी हानि का विवरण	मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम हेतु किये गये उपायों का विवरण	अन्य विवरण, यदि कोई होतो
				पिछले 05 वर्ष का प्रथम वर्ष...	पिछले 05 वर्ष का द्वितीय वर्ष...	पिछले 05 वर्ष का ततीय वर्ष....	पिछले 05 वर्ष का चतुर्थ वर्ष..	पिछले 05 वर्ष का पंचम वर्ष.....			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–4.3 नियम सं0 18(ग) व 18(घ) के तहत राजिवार पंचायती वनों में गैर–प्रकाष्ठीय वनोपज का विगत 5 वर्षो में किये गये दोहन का विवरण
भाग–1 अध्याय–3 के बिन्दु संख्या 1.3.8

क्र0 सं0	राजि का नाम	संबंधित वन पंचायत /वन पंचायतें	गैर–प्रकाष्ठीय वनोपज का नाम	विगत 5 वर्षों के दौरान गैर–प्रकाष्ठीय वन उपज के दोहन की मात्रा (इकाई*)						पिछले 5 वर्षो में वन उपज के दोहन से प्राप्त आय (रू0में)	गैर–प्रकाष्ठीय वन उपजवार				
				पिछले 05 वर्ष का प्रथम वर्ष..	पिछले 05 वर्ष का द्वितीय वर्ष...	पिछले 05 वर्ष का ततीय वर्ष.	पिछले 05 वर्ष का चतुर्थ वर्ष.	पिछले 05 वर्ष का पंचम वर्ष..	कुल मात्रा (इकाई*)		पिछले 3 वर्षो में दोहन की कुल मात्रा इकाई* (7+8+9)	पिछले 3 वर्षो में दोहन से प्राप्त आय/रॉयल्टी (रू0में)		पिछले 3 वर्ष की औसत आय/रॉयल्टी का दर (रू प्रति इकाई*)	
												आय (18 ग)	रॉयल्टी /आय (18 घ)	आय (18 ग) (13/12)	रॉयल्टी /आय (18 घ) (14/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18(ग)															
18(घ)															

नोटः 18(ग): वास्तविक घरेलु उपयोग/सामुदायिक उपयोग/कुटीर उद्योग/ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित।
18(घ): वाणिज्यिक बिक्री से सम्बन्धित।
इकाई*: सं0–संख्या, कु0–कुन्टल, घ0मी0–घन मीटर, को0–कोड़ी, इत्यादि।

प्रपत्र–4.4 नियम सं0 18(ग), (घ) व (ड.) के तहत राजिवार पंचायत वनों में प्रकाष्ठीय वन उपज का विगत 5 वर्षों में किये गये दोहन का विवरण
भाग–1 अध्याय–3 के बिन्दु संख्या 1.3.9

क्र0 सं0	राजि का नाम	संबंधित वन पंचायत/ वन पंचायतें	प्रकाष्ठ प्रजाति	विगत 5 वर्षों के दौरान प्रकाष्ठीय वन उपज के दोहन की कुल मात्रा (घन मी0/पेड़ की संख्या)					कुल घ.मी/कुल पेड़ की सं0 के दोहन से प्राप्त आय/रॉयल्टी (रू0में)		अन्य विवरण यदि कोई हो तो
				पिछले 05 वर्ष का प्रथम वर्ष...	पिछले 05 वर्ष का द्वितीय वर्ष.	पिछले 05 वर्ष का ततीय वर्ष....	पिछले 05 वर्ष का चतुर्थ वर्ष..	पिछले 05 वर्ष का पंचम वर्ष.. ...	आय (18 ग तथा 18 ड. से)	रॉयल्टी (18 घ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18(ग)											
18(घ)											
18(ड.)											

प्रपत्र–4.5 वन प्रभाग के अन्तर्गत पंचायती वनों में स्थित प्रमुख सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों का विवरण
भाग–1 अध्याय–3 के बिन्दु सं0–10 (1.3.10)

क्र0सं0	राजि का नाम	तहसील	विकासखण्ड	भूस्खलन **(Landslide)** प्रभावित क्षेत्र का नाम/तोक	जी0पी0एस0 कार्डिनेटस	भूस्खलन **(Landslide)** से प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव	भूस्खलन **(Landslide)**प्रबन्धन हेतु विगत वर्षो में किये गये कार्यो का विवरण	भूस्खलन **(Landslide)** क्षेत्र की वर्तमानस्थिति	अन्य विवरण, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9

भाग–2 से संबंधित प्रपत्र

पंचायती वनो के विगत, वर्तमान एवं भविष्य की प्रबन्धन व्यवस्था की रूपरेखा

प्रपत्र–5.1 वन प्रभाग में वन पंचायतों द्वारा पांरम्परिक सामुदायिक प्रबन्धन व्यवस्था का विवरण तथा व्यवस्था हेतु आवश्यक सहयोग का विवरण

भाग–2 अध्याय–1 के बिंदु संख्या 7 (2.1.7)

क्रं0 सं0	पंचायती वनों के संरक्षण, संवर्द्धन हेतु पांरम्परिक व्यवस्थायें	राजि का नाम	राजिवार पांरम्परिक प्रचलित (सामाजिक/आर्थिक/तक नीकि) व्यवस्थाएं एंव नियम का संक्षिप्त विवरण	वन पचांयतों के नाम जहां यह व्यवस्था/नियम प्रचलित है	व्यवस्था को बनाये रखने हेतु विभागीय सहयोग यदि आवश्यक हो तो दर्ज करें *
1	2	3	4	5	6
1	पंचायती बुग्यालो के बचाव हेतु स्वचालित नियम जो प्रयोग में हैं (जैसे नियंत्रित चरान चुगान आदि)।	राजि सं0–1			
		राजि सं0–2			
		राजि सं0–3			
2	वन उपज दोहन तथा लाभ वितरण का स्वचालित नियम जो प्रयोग में है।	राजि सं0–1			
		राजि सं0–2			
		राजि सं0–3			
3	जल स्रोतो के बचाव तथा भूमि कटान को रोकने हेतु स्वचालित नियम व सामूहिक योगदान व्यवस्था (जैसे समयदान, श्रमदान व अन्नदान आदि) जो प्रयोग में है।	राजि सं0–1			
		राजि सं0–2			
		राजि सं0–3			
4	वनाग्नि से सुरक्षा हेतु स्वचालित नियम व सामूहिक योगदान व्यवस्था (जैसे समयदान, श्रमदान, व अन्नदान आदि) जो प्रयोग में है।	राजि सं0–1			
		राजि सं0–2			
		राजि सं0–3			
5	अनाज को जंगली जानवर से बचाने	राजि सं0–1			

	के लिए ग्रामीणों की व्यवस्था (जैसे उचित फसल जैसे औषधि व सुंगधित पौधे का चयन व सामूहिक योगदान व्यवस्था आदि)।	राजि सं0–2			
		राजि सं0–3			
6	मावेशियों को जंगल जानवरों से बचाने के लिये ग्रामीणों की व्यवस्था	राजि सं0–1			
		राजि सं0–2			
		राजि सं0–3			
7	पंचायती वनों में अपराध रोकने हेतु गामीणों के बनाये गये स्वयं के नियम जो पालन किये जा रहे है (जैसे अवैध पातन, अवैध शिकार अतिक्रमण व अवैघ खनन आदि रोकने हेतु नियम)।	राजि सं0–1	*		
		राजि सं0–2	*		
		राजि सं0–3	*		
8	अन्य प्रचलित व्यवस्थाएं	राजि सं0–1			
		राजि सं0–2			
		राजि सं0–3			

नोटः– 1. यदि युवक मंगल दल/महिला मंगल दल/स्वयं सहायता समूह द्वारा उक्त सात व्यवस्थाओं में योगदान किया जा रहा है तो उसका स्पष्ट उल्लेख कॉलम संख्या 5 में किया जाय।

2. कॉलम सं0– 2 में दर्ज विषयों पर राजिवार व्यवस्थाओं को कॉलम सं0–4 व 5 में वर्णन किया जाये।
3. कॉलम सं0– 6 में विभागीय सहयोग से आशय स्थानीय स्तर पर राजस्व विभाग, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग आदि से है।
4. कॉलम सं0– 3, 4, 5 व 6 में दो इंच जगह लिखने के लिये छोडी जाये।

* पालन किये जा रहे नियम का सक्षिप्त विवरण लिखे।

प्रपत्र–6.1 नियम सं0 18 (ग) व 18 (घ) के तहत राजिवार वन पंचायत के आगामी पांच वर्ष का गैर–प्रकाष्ठीय वन उपज का क्षेत्रीय रोटेशन के आधार पर संभावित वाणिज्यिक दोहन का विवरण

भाग–2 अध्याय–2 के बिन्दु सं0– 2.2.8.2

क0 सं0	राजि का नाम	गैर–प्रकाष्ठीय वनोपज का नाम **	संबंधित वन पंचायत/ वन पंचायतें	आगामी 5 वर्षों के दौरान गैर–प्रकाष्ठीय वन उपज के दोहन की संभावित मात्रा#1 (इकाई*)						विगत तीन वर्ष के औसत दर#2 (रू0में)	अन्य विवरण दोहन हेतु मात्रण का क्षेत्रफल, लीसा वृक्षों की सं0 इत्यादि
				प्रथम वर्ष..	द्वितीय वर्ष.....	ततीय वर्ष....	चतुर्थ वर्ष.....	पंचम वर्ष.. ...	कुल दोहन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18(ग)											
18(घ)											

नोटः #1 संभावित मात्रा को वन पंचायत नियमावली के धारा 18 (क) को ध्यान में रखते हुये तय किया जायेगा।

#2 संहत प्लान के प्रपत्र 4.3 के कॉलम संख्या 15, तथा 16 से लिया जाना है।

नियम 18(ग): वास्तविक घरेलु उपयोग/सामुदायिक उपयोग/कुटीर उद्योग/ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित।

नियम 18(घ): वाणिज्यिक बिक्री से सम्बन्धित।

इकाई*: सं.0/कु0/घ0मी0/कोड़ी।

** उत्तराखण्ड शासन का शा0सं0 761/व0ग्रा0वि0/2004 दिनांक 15–12–2004, सहपठित शा0सं0 2882/दस–2–2004–9 (4)/2001 दिनांक 27–12–2004 एवं शा0सं0 4217/X–2–2006–9(4)/2001 दिनांक 08–09–2006 के अनुसार वनों से सतत् (**sustainable**) आधार पर संग्रह की जाने वाली जड़ी बूटियो के प्रजातियों एवं छूट प्रजाति (मुक्त संग्रहण औषधीय/संगध पादप प्रजातियों) की सूची संलग्न है।

प्रपत्र–7.1 वन पंचायतो के प्रबंधन व्यवस्था, जनसहभागिता एवं लाभ वितरण आदि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

भाग–2 अध्याय–5 के नवीन बिन्दु सं0–1 (2.5.1)

क्रं0सं0	राजि का नाम	वन पंचायत के प्रबंधन व्यवस्था, जनसहभागिता एवं लाभ वितरण आदि पर गत पॉच वर्षो में किये गये निरीक्षण की स्थिति		यदि हॉ, तो निरीक्षण का विवरण	वन पंचायत के प्रबंधन व्यवस्था, जनसहभागिता एवं लाभ वितरण आदि पर आगामी 05 वर्षो के लिए निरीक्षण की रणनीति
		हॉ	नही		
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र–7.2 वन पंचायतो मे वनाधिकारियो द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण की व्यवस्था

भाग–2 अध्याय–5 के नवीन बिन्दु सं0–2 (2.5.2)

क्रं0सं0	राजि का नाम	गत 05 वर्ष के निरीक्षण की संख्या			आगामी 05 वर्ष की रणनीति (वन क्षेत्राधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक द्वारा वार्षिक रूप से किये जाने वाले निरीक्षण की संख्या तथा प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण के समय किन–किन विषयो पर ध्यान दिया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख कर दे)
		वन क्षेत्राधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	वन संरक्षक	
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र–7.3 वन पंचायतो के ऑडिट की व्यवस्था

भाग–2 अध्याय–5 के नवीन बिन्दु सं0 4 (2.5.4)

क्रं0सं0	राजि का नाम	राजि के अंतर्गत वन पंचायतों के लेखा परीक्षण (ऑडिट) व्यवस्था का विवरण		यदि हा तो विगत 5 वर्षो में ऑडिट की गयी वन पंचायतों की सख्या	भावी पॉच वर्षो के लिए राजिवार लेखा परीक्षण (ऑडिट) की रणनीति
		हॉ	नही		
1	2	3	4	5	6

.....

भाग–3 से संबंधित

3 संहत प्रबंधन योजना के अध्यायो से जुडे आवश्यक आदेशों का संकलन

संहत प्रबंधन योजना के अध्यायो से जुडे आवश्यक शासनादेशो का संकलन एवं आवश्यक नियम व निमावलियों के संदर्भित पैरा की छायाप्रति विषयसूची सहित रखा जाना है।

14.1.1 **वनों से औषधीय तथा संगध पादपों का संग्रहण :–**वनों से महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के अनियंत्रित विदोहन का इतिहास बहुत पुराना है। निरन्तर विदोहन के परिणाम स्वरूप अनेक महत्वपूर्ण औषधीय पादप दुर्लभ संकट ग्रस्त तथा विलुप्त अथवा विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। राज्य में किये गये सर्वेक्षण एवं अध्ययन के आधार पर शासन ने कुछ औषधीय पौधों के वनों से विदोहन को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। जिनको तालिका 14.4 में सूचीबद्ध किया गया है।

सारणी 14.4

वनों से संग्रहण के लिए पूर्णतया प्रतिबन्धित औषधीय प्रजातियां

क्र0सं0	हिन्दी नाम	वानस्पतिक नाम	वानस्पतिक नाम अंग्रेजी में
1	2	3	4
1.	सालम पंजा	डेक्टाइलोराइजा हेटेगिरिया	Dactylorhiza hatagirea . (Don.) soo
2.	रिद्धि	हैबेरेनरिया इन्टरमीडिया	Habenaria intermedia.D.Don
3.	वृद्धि	हैबेनेरिया एजवथोई	Habenaria edgeworthii. Hook. F.ex. Collept.
4.	काकोली	फ्रिटीलैरिया रॉयली	Fritillaria roylei. H.k.
5.	क्षीर काकोली	लिलियम पॉलीफाइलम	Lilium polyphyllum. Don.
6.	जीवक	मेलेक्सिस एक्यूमिनाटा	Malaxix acuminata. D.Don.
7.	ऋषभक	मेलेक्सिस म्यूसीफेरा	Malaxis muscifera.(Lindl) Kuntz.
8.	सालम मिश्री	पुलोफिया डैबिया	Eulophra dabia (Don.) Hochr.
9.	जटामांसी	नार्डोस्टैकिस ग्रैण्डीफ्लोरा	Nardostachys grandiflora DC.
10.	कडर्वी	जनसियाना कुरू	Gentiana kurroo Royle.
11.	सतुआ / दुधिया बौज	पैरिस पौलीफाइला	Paris polyphylla . Sm.
12.	चिरायता	स्वैरसिया चिरायता	Swertia chirayita (Roxb.ex Flem) Karstem.
13.	किंगोरा	बरबेरिस स्पेसिज	Berberis spp
14	अतीस	एकोनिटम हेटेरोफाइलम	Aconitum heterophyllum Wall.ex Royle
15.	मीठा	एकोनिटम बालफोराई	Aconitum balfourii Statt.
16.	कुटकी	पिकरोराइजा कुरूआ	Picrorhiza kurroa Benth.
17.	गेंठी	डायोस्कोरिया डेल्टोयडिया	Dioscorea deltoidea. Kunth.
18.	सालपर्णी	डेस्मोडियम गैंगेटिकम	Desmodium gangeticum DC.
19.	पृष्ठपर्णी	यूरेरिया पिक्टा	Uraria picta (Jacq) Desv.
20.	बच	एकोरस कैलमस	Acorus calamus. L.
21.	गिलोय	टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया	Tinospora cordifolia. Miers.
22.	मेदा / महामेदा	पौलीगोनेटस सिरीफोलियम	Polygonatum cirrhifolium. (Wall) Royle.
23.	डोलूअर्चा	रियूम मूर्करेफ्टीएनम	Rheum moorkraftianum. Royle.
24.	सर्पगंधा	राउल्फिया सर्पेन्टाइना	Rauvolfia serpentina Benth.ex. Kurz.
25.	कलिहारी	ग्लोरिओसा सुपर्बा	Gloriosa superba L.
26.	तिमूर	जैन्थोजाइलम आर्मेटम	Zanthoxylum armatum DC.
27.	वन प्याज	अर्जिनिया इण्डिका	Urgenia indica. (Roxb).Kunth.
28.	शंख पुष्पी	इवौल्वुलस अलसीनौइडस	Evolvulus alsinoides. (L) L.
29	मंजीठ	रूबिया कार्डिफोलिया	Rubia cordifolia Linn.
30.	बालचरी	अर्नेबिया बेन्थमाई	Arnebia benthamii (Don.) John.
31.	थुनेर	टैक्सस बकाटा	Taxus baccata Linn.
32.	धूप	ज्युर्निया मैक्रोसिफैला	Jurinea macrocephala Benth.
33.	तगर	वैलेरियाना वैलीचियायी	Valeriana wallichii DC.
34.	च्यूरा	ऐन्गेलिका ग्लौका	Angelica glauca
35.	वन ककड़ी	पोलीफिल्लम हेक्सेन्ड्रम	Polyphyllum hexandrum

स्रोत :– उत्तराखण्ड शासन का शा0सं0 761 / व0ग्रा0वि0 / 2004 दिनांक 15–12–2004, शा0सं0 2882 / दस–2–2004–9 (4) / 2001 दिनांक 27–12–2004 एवं शा0सं0 4217 / X–2–2006–9(4) / 2001 दिनांक 8–09–2006।

संकटग्रस्त औषधीय पौधों का संग्रहण वनों से नहीं किया जाना चाहिए तथा यह बेहतर होगा कि वर्तमान समय में इन लुप्त प्रायः पादपों की मांग को कृषिकरण द्वारा पूर्ण किया जाय। जिससे प्रकृति में इनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके साथ ही उच्छाय (Altitude) एवं जलवायु (Climate) के दृष्टिगत प्रस्तावित एम0पी0डी0ए0 में इन प्रजातियों के विकास के विशेष प्रयास किया जायें।

14.1.2 **वनों से सतत् (Sustainable) आधार पर संग्रह की जाने वाली जड़ी बूटियां :**–उत्तराखण्ड के वनों में संकटग्रस्त पौधों के अलावा कई अन्य औषधीय पादप उपलब्ध हैं। उत्तरांखण्ड शासन ने इन पौधों के विवेकपूर्ण संग्रहण का निर्णय लिया है। इस समूह में उन औषधीय/सगंध पौधों को वर्गीकृत किया गया है जो वर्तमान में वनों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जिनका संग्रहण सतत् (Sustainable) आधार पर किया जा सकता है। इन प्रजातियों का वनों से संग्रहण उसी सीमा तक किया जा सकेगा, जो प्रभागीय जड़ी–बूटी संग्रहण समिति द्वारा निर्धारित होगी। प्रजातियों की सूची सारणी 14.5 में दी जा रही है।

सारणी 14.5

वनों से सतत् (sustainable) आधार पर संग्रहणीय औषधीय/सगंधन पादप प्रजातियों की सूची

क्र.सं.	हिन्दी नाम	वानस्पतिक नाम (हिन्दी में)	वानस्पतिक नाम (अंग्रेजी में)
1	2	3	4
1.	पाषाण भेद	बर्जिनिया लिगुलाट	*Berginea ligulata* Engl.
2.	मालकांगनी	सेलैस्ट्रस पैनिकुलेटस	*Caelastrus paniculatus* Willd.
3.	करी पत्ता	मुराया कोनीगाई	*Murraya koenighii*. Spreng.
4.	प्रियंगू	कैलीकार्पा मेक्रोफिला	*Callicarpa macrophylla* Linn.
5.	निरगुनी	वाईटेक्स निगण्डू	*Vitex negundo* Linn.
6..	गंध प्रसारिणी	पडेरिया फोटिडा	*Paederia foetida* Linn.
7.	हरड़, बहेड़ा, ऑवला	त्रिफला	-
8.	सतावर	असपरागस क्यूरीलस	*Asparagus curillus*. Buch.-Ham.ex. Roxb
9.	मरोड़ फली	हेलिक्टेरस आइजोरा	*Helicterus isora* Linn.
10.	बेल	ईगल मारमेलोस	*Aegle marmelos* Correa.
11.	वासा	अधाटोडा वैसिका	*Adhatoda vasica* Nees.
12.	बिदारीकन्द	प्यूरेरिया ट्यूबरोसा	*Pueraria tuberosa* DC.
13.	पाठा	सीसमोलास परेरा	*Cissamelos pareira* Linn
14.	रत्ती	एब्रस प्रिकैटोरियस	*Abrus precatorius* Linn.
15.	अमलतास	कैसिया फिस्टुला	*Cassia fistula* Linn.
16.	कपूरकचरी	हेडिकियम स्पाइकेटम	*Hedychium spicatum* Ham.ex.Sm.
17.	तेजपात	सिनामोमम तमाला	*Cinnamomum tamala* .Fr.Nees.
18.	भूतकेशी 1	सेलीनियम वैजिनेटम	*Selinium vaginatum* Clarke.
19.	भूतकेशी 2	टैनेसिटम डोलिकोफिलम	*Tanacetum dolichophyllum* (Kitam.) Kitam.
20.	गिंजारू	स्टिफैनिया ग्लैबरा	*Stephania glabra* Meirs.
21.	सर्पुन्खा	टेफ्रोसिया परप्यूरिया	*Tephrosia purpurea* .Pers.
22.	लाजवन्ती/छुई–मुई	माइमोसा प्यूडिका	*Mimosa pudica* L.
23.	नीरपाती/ केदारपाती	स्किमिया लौरओला	*Skimmia laureola* Hook.f.
24.	चित्रक	प्लम्बैगो जिलेनिका	*Plumbago zeylanica.* Linn.
25.	इन्द्रायण	ट्राइकोसैन्थस पामाटा	*Trichosanthes palmata.* Roxb.
26.	पत्थरलौंग	डिडमोकार्पस पैडीसेलाटा	*Didymocarpus pedicellata* R.Br.
27.	मॉस	–	*Moss*
28.	लाईकेन	–	*Lichen*

स्रोत :–उत्तराखण्ड शासन का शा0सं0 761/व0ग्रा0वि0/2004 दिनांक 15–12–2004, शा0सं0 2882/दस–2–2004–9 (4)/2001 दिनांक 27–12–2004।

14.1.3 **छूट प्रजातियॉ** :–कुछ औषधीय पौधे जो कि सामान्यतया प्रचुर मात्रा में वनों या अन्य क्षेत्रों में पाये जाते हैं उन प्रजातियों का स्वतंत्रतापूर्वक संग्रह किया जा सकता है। इस वर्ग की औषधीय प्रजातियों के संग्रहण, अभिवहन आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इनकी कितनी भी मात्रा संग्रहित की जा सकती है। छूट–प्रजातियों का विवरण सारणी 14.6 में दिया गया है ।

सारणी 14.6

मुक्त संग्रहण (छूट वाली) औषधीय/सगंध पादप प्रजातियों की सूची

क्र0सं0	हिन्दी नाम	वानस्पतिक नाम (हिन्दी में)	वानस्पतिक नाम (अंग्रेजी में)
1	2	3	4
1.	भुई आंवला	फाइलेन्थस यूरीनेरिया	*Phyllanthus urinaria* L.
2.	नीम	एजाडिरेक्टा इण्डिका	*Azardirachta indica.*A .Juss.
3.	बला	सिडा स्पीसीज	*Sida spp.*
4.	अतिबला	एब्यूटिलान इण्डिकम	*Abutilon indicum.* Sweet.
5.	मूंगपर्णी	फैरूकोलस ट्राइलोबस	*Phascolus trilobus*
6.	शाहतरा	फ्यूमेरिया पारवीफ्लोरा	*Fumaria parviflora.*Lam.

7.	पुनर्नवा	बोरबिया डिफ्यूजा	*Boerhaavia diffusa*. Linn.
8.	अरण्ड	रिसिनस कम्मूनिस	*Ricinus communis* Linn.
9.	गोखरू	ट्राईबुलस टेरिसटिस	*Tribulus terrestis* L.
10.	भृंगराज	एक्लिप्लटा प्रोस्ट्राटा	*Eclipta prostrata* (L)L.
11.	अपामार्ग	एकाइरैन्थस अस्परा	*Achyranthesa aspera* Linn.
12.	आक	कैलोट्रोपिस स्पीसीज	*Calatropus spp.*
13.	धतूरा	धतूरा इनोक्जीया	*Datura innoxia.* Mill.
14.	मकोय	सोलेनम नाइग्रम	*Solanum nigrum* L.
15.	मासपर्णी	टेरैम्नस लैबियालिस	*Taramnus labialis* Spreng.
16.	आज्ञाघास	सिम्बोपोगान स्पीसीज	*Cymbopogon spp.*
17.	पुदीना	मेंन्था स्पीसीज	*Mentha spp.*
18.	कमल फूल	–	-
19.	गुलाब फूल	–	-
20.	गुड़हल फूल	–	*Hibiscus rosa-sinensis,Linn*
21.	तुलसी	ऑसिमम सैंन्कटम	*Ocimum sanctum*. L.

स्रोत–ःउत्तराखण्ड शासन का शा0सं0 761 / व0ग्रा0वि0 / 2004 दिनांक 15–12–2004, शा0सं0 2882 / दस–2–2004–9 (4) / 2001 दिनांक 27–12–2004।